

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 26, शुक्रवार, शाके 1947- जनवरी 16, 2026 Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 12, 2026

एस.ओ.154 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(60) वित/कर/2007 पार्ट-120 दिनांक 02.12.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

विशिष्ट शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 02, 2025

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये निम्नलिखित नियमों को, राज्य सरकार इसके द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ई-रजिस्ट्रीकरण नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-
(i) **"अधिनियम"** से राजस्थान राज्य में यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) अभिप्रेत है;
(ii) **"ई-फाइलिंग"** से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण या उनसे संबंधित मामलों के संबंध में फाईल या प्रेषित किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों का इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से फाईल किया जाना या ज़ापन या सूचनाओं का प्रेषित किया जाना अभिप्रेत है;

- (iii) "ई-मैसेजिंग" से ई-मेल या ई-पंजीयन पोर्टल द्वारा यथा उपबंधित अन्य किसी इलैक्ट्रानिक साधन से, किसी मैसेज का परिदान अभिप्रेत है;
- (iv) "ई-पंजीयन पोर्टल" से महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान के कार्यालय द्वारा विकसित आनलाईन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन अभिप्रेत है;
- (v) "ई-रजिस्ट्रीकरण" से ई-पंजीयन पोर्टल या महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य डिजिटल रीति के माध्यम से दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण की इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (vi) "ई-सर्व" से ई-पंजीयन पोर्टल के माध्यम से अभिलेख सर्च करना, देखना या उसकी प्रति प्राप्त करना अभिप्रेत है;
- (vii) "ई-सत्यापन" से दस्तावेज के पक्षकारों और उसके साक्षियों की पहचान का सत्यापन या इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से ई-पंजीयन पोर्टल पर दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण या अन्य किसी सेवा के लिए जिसके लिए ई-पंजीयन पोर्टल पर ऐसी सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है, के संबंध में परीक्षण और जांच संचालित करना अभिप्रेत है;
- (viii) "रोकना" से किसी प्रक्रियात्मक या विधिक अपेक्षा के लिए ई-पंजीयन पोर्टल के अधीन दस्तावेज का लौटाया जाना या दस्तावेज का लंबित रखा जाना अभिप्रेत है;
- (ix) "रजिस्ट्रीकरण कार्यालय" में जिला रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार दोनों का कार्यालय सम्मिलित है; और
- (x) "स्लाट बुकिंग" से ऐसी आनलाईन प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा पक्षकार ई-पंजीयन पोर्टल पर उपलब्ध किसी सेवा के लिए विशिष्ट दिन और समय का चयन और उसे आरक्षित करते हैं।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) और उनके अधीन बनाये गये या जारी किये गये नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों में समनुद्दिष्ट किये गये हैं।

3. ई-रजिस्ट्रीकरण.- दस्तावेज का कोई भी पक्षकार ई-पंजीयन पोर्टल पर सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) आईडी द्वारा लॉग-इन या मोबाइल आधारित ओटीपी या ई-पंजीयन पोर्टल द्वारा उपबंधित किसी अन्य रीति द्वारा ई-रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा। सफल लॉग-इन पर पक्षकार, ई-पंजीयन पोर्टल पर उपबंधित चरणों का अनुसरण करते हुए और आवश्यक स्थानों को भरते हुए दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे बढ़ सकेंगे।

4. रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज के प्रतिग्रहण से पूर्व परीक्षण.- (1) दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण पर, रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर यह परीक्षण और सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्राह्य है या नहीं।

(2) यदि परीक्षण करने पर, दस्तावेज किसी विधि या किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिषिद्ध पाया जाता है, तब रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर दस्तावेज को प्रतिगृहीत करने से इंकार करेगा।

(3) प्रतिग्रहण के पश्चात्, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विसंगति से भिन्न, कोई विसंगति रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा पायी जाती है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को रोक दिया जायेगा और पक्षकारों से यह अपेक्षित होगा कि वे आगामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों का परिशोधन करें और उन्हें अपलोड करें। यदि रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि विसंगतियां परिशुद्ध की जा चुकी हैं, तो रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया हॉल्ड बटन को रिलीज कर प्रारंभ की जायेगी।

(4) दस्तावेज की ग्राह्यता के संबंध में परीक्षण के पश्चात्, यदि रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर यह पाता है कि दस्तावेज सही हैं, तो अभिस्वीकृति रसीद सृजित की जायेगी और ई-मैसेजिंग के माध्यम से पक्षकारों को प्रेषित की जायेगी।

(5) अभिस्वीकृति की सूचना प्राप्ति के पश्चात् पक्षकार, सत्यापन के लिए स्लॉट बुकिंग की ओर अग्रसर होंगे।

5. सत्यापन के ढंग:- (1) पक्षकार निम्नलिखित ढंगों में से किसी एक का चयन करके सत्यापन मुलाकात का समय निर्धारित कर सकेंगे, अर्थात्:-

(i) **वैयक्तिक रूप से सत्यापन:** पक्षकार अंगूठा-निशानी, ई-पंजीयन पोर्टल में फोटो खिंचवाने, पहचान सत्यापन, परीक्षण और जांच आदि के लिए रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे; या

(ii) **ई-सत्यापन:** पक्षकार, आधार आधारित ई-केवाईसी, वीडियो केवाईसी या ई-पंजीयन पोर्टल द्वारा उपबंधित किये गये किसी अन्य आनलाईन ढंग का उपयोग करते हुए अपनी पहचान अधिप्रमाणित करेंगे।

(2) जब कोई दस्तावेज ई-रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और पक्षकार ई-सत्यापन का चुनाव करते हैं, तो किसी भी प्रयोजन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या पक्षकारों या साक्षियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

6. रजिस्ट्रीकरण से पूर्व जांच:- (1) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों का ब्यौरेवार परीक्षण संचालित करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) के उपबंधों के अनुसार स्टाम्प-पत्रों को विरूपित करने और अन्य अनुपालनों को सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण का पूर्ण होना:- (1) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा आवश्यक परीक्षण और संवीक्षा के पश्चात्, यदि यह पाया जाता है कि कोई अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज अपेक्षित है, तो वह अनुपालना के लिए, अगले कार्य दिवस के भीतर ई-मैसेजिंग के माध्यम से पक्षकारों को इसकी सूचना देगा।

(2) यदि पक्षकार उप-नियम (1) के अधीन सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर अपेक्षित अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, तो दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण कारणों को अभिलिखित किये जाने के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, तीस दिन की कालावधि की गणना करते समय, वह दिन जिस पर आक्षेप उठाया गया है, अपवर्जित किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, समस्त विधिक और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का समाधान होने पर, रजिस्ट्रीकरण को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और पृष्ठांकित करेगा।

(4) पक्षकारों को इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जायेगा और विलेख को डिजीटल रूप से पारेषित किया जायेगा।

8. काम के घंटे.- ई-पंजीयन पोर्टल पर ई-रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज को आनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा 24x7 घंटे उपलब्ध रहेगी। दस्तावेज ऐसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रीकृत और परिदत्त किया जायेगा जैसाकि राज्य सरकार या महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण द्वारा आदेशित किया जाये।

9. शिकायतों को दूर करना.- महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण ई-रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

10. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्तव्य.- साम्यापूर्ण बंधक, जिसके द्वारा हक विलेखों के निक्षेप द्वारा स्थावर संपत्ति को बंधकित किया जाता है, के आधार पर उधार अनुदत्त करने वाले समस्त बैंक और वित्तीय संस्थाएं महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ई-पंजीयन पोर्टल पर वास्तविक समय आधार पर ऐसे बंधक विलेखों से संबंधित अपेक्षित डाटा शेयर करेंगी।

11. ई-सर्च, प्रमाणित प्रति इत्यादि.- ई-रजिस्ट्रीकरण या ई-फाइलिंग के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की ई-सर्च या प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध, ई-पंजीयन पोर्टल के माध्यम से आनलाईन किया जायेगा। अपेक्षित फीस, ई-पंजीयन पोर्टल पर उपलब्ध ढंगों के माध्यम से संदत्त की जायेगी। सर्च और प्रमाणित प्रति की सुविधाएं केवल आनलाईन उपलब्ध करवायी जायेंगी।

12. प्रकीर्ण.- (1) प्रत्येक पक्षकार, अन्य पक्षकारों और साक्षियों की पहचान के प्रति-सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा। यह सदैव उपधारित किया जायेगा कि हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने स्वयं पुष्टि की है कि प्रत्येक पक्षकार के पास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का विधिमान्य प्राधिकार और अधिकार है।

(2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सदैव यह अर्थ लगाया जाएगा कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का अर्थ दस्तावेज को निष्पादित करना, प्रतिगृहीत करना और स्वीकार करना होगा।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर दिन के अंत में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों और सरकारी रसीदों का सार तैयार करेगा। वह इसकी अभिस्वीकृति के प्रमाणस्वरूप ऐसे सार पर अपने इलैक्ट्रानिक या, यथास्थिति, डिजीटल हस्ताक्षर करेगा।

(4) फीस, स्टाम्प शुल्क या अन्य प्रभारों के संदाय से संबंधित विसंगतियां, यदि कोई हों, सदैव समुचित प्राधिकारी द्वारा वसूली के अधीन होंगी।

(5) कोई कार्य या सेवाएं जो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गयी हैं, राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (खण्ड 1) के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उपबंधित की जायेंगी।

(6) अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रखे और संधारित किये जाने वाले अपेक्षित समस्त रजिस्टर पुस्तकें, रजिस्टर, सूचियां, परिशिष्ट, प्ररूप, पृष्ठांकन इलैक्ट्रानिक रूप से रखे और संधारित किये जायेंगे।

[सं. एफ. 2 (60)वित्त/कर/2007 पार्ट-120]

राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयुक्त शासन सचिव”।